न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 15/22

सुमित्रा देवी धर्मपत्नी सत्यप्रकाश जाति यादव निवासी वार्ड न 34/13श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान।

अप्रार्थी

पुनर्विलोकन पत्र अन्तर्गत धारा 86(2)(3) एल0आर0 एक्ट व आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सपठित धारा 5 राज0 उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री कुलवन्त सिंह संन्धू एवं चन्द्रकान्त यादव अधिवक्तागण प्रार्थी की ओर से ।
2. राजकीय अधिवक्ता, सरकार की ओर से।

आदेश

दिनांक : 21–09–2022

प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86(2)(3) भू–राजस्व अधिनियम एवं आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सपठित धारा 5 राज0 उप. निवेशन अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के प्रकरण सं0 72/22(04/2008) विनोद बनाम श्योप्रकाश अ0 धारा 11/14 राज0 उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 09.06.2022 को पारित किया जाकर दिनांक 15.05.1992 को वाके चक खाटां बारानी के मु0न0 117 की 25–00 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया गया है, के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है।

सक्षेंप में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के सारवान एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थी श्योप्रकाश द्वारा अलॉट शुदा रकबा को छुपाकर खांटा बारानी तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 117 का 25 बीघा बारानी भूमि का दिनांक 15.05.1992 को गलत अलॉटमेन्ट करवाया गया है जिस पर श्योप्रकाश के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 09.06.2022 पारित कर आवंटन निरस्त कर रकबा बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश दिए गए जबकि उपरोक्त रकबा प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा है। अलॉटी श्योप्रकाश द्वारा तथ्यों को छुपाकर रकबा अलॉट नही करवाया गया है बल्कि अलॉटी श्योप्रकाश को अपने पिता के अलॉट रकबा में से 10 बीघा प्राप्त हुआ था तथा वह भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आने से 25 बीघा नहरी अथवा 50 बीघा बारानी भूमि आवंटन करवाने का पात्र था। दिनांक 15.05.1992 को वाके चक खाटां बारानी का मु.न. 117 का 25 बीघा बारानी अलॉट करवाया गया है । उक्त भूमि की सनद सं. 2280 दिनांक 21.01.1999 को जारी हो चुकी है। बारानी भूमि को यदि नहरी भूमि में परिवर्तित किया जाए तो वह 08 बीघा 06 विस्वा भूमि के बराबर बनती है। इस प्रकार अलॉटी श्योप्रकाश के पास 10 बीघा नहरी भूमि पिता से तथा 08 बीघा 06 विस्वा नहरी आवंटन से कुल 18 बीघा 06 विस्वा भूमि नहरी है। अलॉटी श्योप्रकाश द्वारा मु.न. 117 का 25 बीघा बारानी रायसिंह नामक व्यक्ति को विकय किया गया। दिनांक 10.03.2008 के रजिस्टर्ड बैयनामा से प्रार्थीया द्वारा खरीद किया गया है। अलॉटी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 09.06.2022 को निर्णय पारित किया गया है जबकि

अति0 जिला कलेक्टर (सतर्कता)

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रार्थीया–खरीददार को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक था। खातेदारी सनद जारी होने के उपरान्त आर टी एक्ट के प्रावधान लागू हो जाते है तथा खातेदारी भूमि को निरस्त नही किया जा सकता। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली सं. 72/22 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2022 को निरस्त किया जाकर आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। इस न्यायालय की पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल पत्रावली शामिल की गई। बहस सुनी गई।

प्रार्थीया के अधिवक्ता ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बताया है कि प्रार्थीया द्वारा चाके चक खाटां बारानी के मु.न. 117 की 25 बीघा बारानी भूमि खातेदारी सनद मिलने के उपरान्त दिनांक 10.03.2008 को जरिये रजिस्टर्ड बेयनामा खरीद की है। अलॉटी श्योप्रकाश द्वारा तथ्यों को छुपाकर रकबा अलॉट नही करवाया गया है बल्कि उसको अपने पिता के अलॉट रकबा में से 10 बीघा ही प्राप्त हुआ था तथा वह भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आने से 25 बीघा नहरी अथवा 50 बीघा बारानी भूमि आवंटन करवाने का पात्र था। दिनांक 15.05.1992 को चाके चक खाटां बारानी का मु.न. 117 का 25 बीघा बारानी अलॉट करवाया गया है उक्त भूमि की सनद सं. 2280 दिनांक 21.01.1999 को जारी हो चुकी है। बारानी भूमि को नहरी भूमि में परिवर्तित करने पर वह 08 बीघा 06 बिस्वा नहरी भूमि बनती है। इस प्रकार अलॉटी श्योप्रकाश के पास 10 बीघा नहरी भूमि पिता से तथा 08 बीघा 06 बिस्वा नहरी आवंटन से कुल 18 बीघा 06 बिस्वा भूमि बनती है। अलॉटी श्योप्रकाश के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 09.06.2022 को निर्णय पारित किया गया है जबकि प्रकरण में प्रार्थीया–खरीददार को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक था। खातेदारी सनद जारी होने के उपरान्त आरटीएक्ट के प्रावधान लागू हो जाते है तथा खातेदारी भूमि को निरस्त नही किया जा सकता। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली सं. 72/22 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2022 निरस्त कर शिकायत खारिज की जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि प्रार्थीया को आदेश दिनांक 09.06.2022 के विरूद्ध अपील करनी चाहिये। पुनर्विलोकन का कोई आधार नहीं है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2)(3) को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है–

Review by the Board and other courts.- (2) Every other revenue court or officer may either on its or his own motion or on the application of any party interested, review any order passed by itself or himself or by any of its or his pre-decessors in office and pass such orders in reference thereto as it or he thinks fit:

(3) An application for review under this section shall lie on any of the grounds mention in rule 1 of Order XLVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908(Central Act V of 1908) and the provisions of the said Order shall subject to the provisons contained in sub-section (1) or sub section (2) be applicable.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 229 के अनुसार बोर्ड और अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन किए जाने की शक्ति– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबन्धों के अध्याधीन–(2) बोर्ड से भिन्न प्रत्येक राजस्व न्यायालय ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री,आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन करने के लिए सक्षम होगा।

आदेश 47 नियम 1 पुनर्विलोकन के लिए आवेदन–(1) जो कोई व्यक्ति–

(क) किसी ऐसे डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात है किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है,

(ख) डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)

Scanned with CamScanner

(ग) लघुवाद न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश पर विनिश्चय से, अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरूद्ध पारित डिक्रीयों के लिए किए गए आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए वह उस न्यायालय से निर्णय से पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिक्री पारित की थी या वह आदेश किया था।

(2) वह पक्षकार जो डिक्री या आदेश की अपील नहीं कर रहा है, निर्णय के पुनर्विलोकन आवेदन इस बात के होते हुये भी कि किसी अन्य पक्षकार द्वारा की गई अपील लंबित है वहां के सिवाय कर सकेगा जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलार्थी दोनों के बीच सामान्य है या जहां प्रत्यर्थी होते हुए वह अपील न्यायालय में वह मामला उपस्थित कर सकता है जिसके आधार पर वह पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करता है।

(क) आदेश 47 के अनुसार –पुनर्विलोकन का परिक्षेत्र बहुत सीमित– किसी निर्णय, डिक्री या आदेश का पुनर्विलोकन निम्न आधारों पर किया जा सकता है–

(I) जब किसी नये और महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता चले– अर्थात्– कोई नये तथ्य प्रकाश में आवें, जो डिक्री या आदेश पारित करने के समय–

(क) उचित प्रयास करने के बावजूद उसके ज्ञान में नहीं था, या

(ख) उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सका था, या

(II) किसी भूल या गलती के कारण, जो अभिलेख के मुख पर प्रकट होती हो, या

(III) किसी अन्य पर्याप्त कारण से।

हस्तगत प्रकरण में सीपीसी के आदेश 47 (I) के अनुसार पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में नये तथ्य के कम में प्रार्थीया मूल प्रकरण में पक्षकार नही थी तथा निर्णय दिनांक 09.06.2022 एकपक्षीय पारित किया गया था। खातेदारी सनद मिलने के उपरान्त प्रार्थीया द्वारा वाके चक खाटां बारानी के मु.न. 117 की 25 बीघा बारानी भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 10.03.2008 को खरीद की गई है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत बैयनामा की प्रति से होता है जो Error Apparent on th face of record है।

अतः भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2)(3) एवं आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

इस प्रकार, उपरोक्त समग्र विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में नये तथ्य आने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम के प्रकरण सं0 72/22 विनोद बनाम श्योप्रकाश में पारित आदेश दिनांक 09.06.2022 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण की पत्रावली को वाजबा नम्बर पर पुनः लाल स्याही से दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की जावें।

आदेश आज दिनांक 21.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति0 जिला कलेक्टर (मुख्यालय)
श्री गंगानगर